संख्या-46/2018/3309/26-3-2017-15(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 मार्च, 2018

विषयः-समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने हेतु शैक्षणिक कार्मिको के आवास निर्माण के लिये धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्रांक-1147-48/स.क./आ.पि.व.-प्रकोष्ठ(114)ट्रा0हा0/2017-18, दिनांक-22.11.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में अनुदान संख्या-83 में संचालित योजना राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण मद में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि में से निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में ट्रांजिट हास्टल निर्माण हेतु कुल 07 विद्यालयों हेतु (तालिकानुसार) कुल लागत रू0-1958.13 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ अट्ठावन लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0-979.05 लाख (रू0 नौ करोड़ उन्नयासी लाख पांच हजार मात्र) की निम्नानुसार राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं	विद्यालय का नाम	आगणित धनराशि (रूपया लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत
1	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, इटौरा, आगरा	276.84	138.42
2	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खाईपार, करछना इलाहाबाद	276.84	138.42
3	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, कान्धनी इटावा	276.84	138.42
4	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, असैदापुर गौरीगंज, अमेठी	276.84	138.42
5	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, पतरागोला, गोरखपुर।	283.59	141.79
6	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सिंघावली, सम्भल, मुरादाबाद	283.59	141.79
7	राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, सकरौरा, गोण्डा।	283.59	141.79
	योग	1958.13	979.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(i) नियमानुसार निर्विवाद रूप से भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(ii) योजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप हो।

(iii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(iv) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(v) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की द्विरावृत्ति न हो तथा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-03.08.2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(vi) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेक्स चार्ज लिया जायेगा।

(viii) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0(अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके।

(x) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा एवं प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों का आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(xii) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल के आधार पर किया गया है। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाय।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव।

पृसं0-46/2018/3309(1)/26-3-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3 निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
4 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5 जिलाधिकारी, आगरा, इलाहाबाद, इटावा, अमेठी, गोरखपुर, मुरादाबाद, गोण्डा।
6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, आगरा, इलाहाबाद, इटावा, अमेठी, गोरखपुर, मुरादाबाद, गोण्डा
7 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8 वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9 प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10 निदेशक, एन0आई0सी0।
11 गार्डफाइल

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।